भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5440

उत्तर देने की तारीख : 03.04.2025

संकुल आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास कार्यक्रम

5440. डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय पश्चिम चंपारण जैसे पिछड़े क्षेत्रों में संकुल आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान जिले में स्थापित ऐसे संकुलों का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं;

(ग) क्या पश्चिम चंपारण में उद्यमिता और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए वहां व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अपेक्षित समय-सीमा क्या है और ये केंद्र किस प्रकार की सहायता (वित्तीय, तकनीकी और विपणन संबंधी) प्रदान करेंगे: और

(ङ) पश्चिम चंपारण के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनकी बाजार पहुंच का विस्तार किया जा सके और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया जा सके?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : एमएसएमई मंत्रालय पूरे देश में सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। एमएसई-सीडीपी स्कीम को प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाना, कौशल और गुणवत्ता आदि जैसे सामान्य समस्याओं के समाधान द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के स्थायित्व, प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जाता है ताकि मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना और नए/मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं/फ्लेटेड फेक्ट्री परिसरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु भारत सरकार के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाकर एमएसई का समग्र विकास किया जा सके सकें। यह एक मांग आधारित स्कीम है तथा इस स्कीम के तहत प्रस्ताव, राज्य/संघ-राज्य सरकारों की आवश्यकता अनुसार प्राप्त होते हैं। अभी तक एमएसई-सीडीपी के तहत पश्चिम चंपारण से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) : एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई चैम्पियंस स्कीम के तहत एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के इंक्यूबेशन घटक का भी कार्यान्वयन कर रहा है। यह घटक तकनीकी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य व्यवसायिक कॉलेजों/संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, इंक्यूबेशन गतिविधियों में सम्मिलित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), एमएसएमई-डीआई/ प्रौद्योगिकी केन्द्र अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के कोई संस्थान/संगठन जैसे संस्थान, मेजबान संस्थान (एचआई) और बिजनेस इंक्यूबेटर (बीआई) के रूप में पंजीकरण हेतु अवसर प्रदान करते हैं। यह एक मांग आधारित स्कीम है, अभी तक पश्चिम चंपारण जिले से एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के इंक्यूबेशन घटक के तहत मेजबान संस्थान (एचआई)/बिजनेस इंक्यूबेटर (बीआई) के पंजीकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) : डिजिटल कॉमर्स के लिए ऑपन नेटवर्क (ओएनडीसी) उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य लघु व्यवसायों को एक समान सुविधाएं प्रदान कर डिजिटल कॉमर्स के लाभों का फायदा उठाकर उन्हें डिजिटल कॉमर्स के रूप में एकीकृत एवं सक्षम बनाया जा सके। यह पहल एमएसएमई, कारीगरों और स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) सहित लघु व्यवसायों को समान अवसर प्रदान करते हैं ताकि उनको डिजिटल कॉमर्स का लाभ उठाने एवं बाजार तक पहुंच का विस्तार किया जा सके। एमएसएमई मंत्रालय ने ओएनडीसी पर 5 लाख लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को शामिल करने के लिए एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन (टीम) स्कीम को डिजाइन तथा शुरू की है।

****